संख्या-352/आई/296985/001-41-1002-523-2019-14-budget-2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 31 मार्च, 2023

विषय:-जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित 06 प्रवेश द्वारों हेतु समस्त सुविधाओं से युक्त व्यवस्था हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र पत्र सं0-8440/6-1-1(1386)/2021-22, दिनांक 08.02.2023, सं0-8525/6-1-1(1386)/2022-23, दिनांक 13.02.2023, पत्र सं0-8518/6-1-1(1386)/2022-23, दिनांक 13.02.2023 एवं पत्र सं0-8685/6-1-1(1386)/2022-23, दिनांक 16.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या 06 प्रवेश द्वारों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-454/2022/आई/203604/001/14-Budget-2019, दिनांक 23.08.2022 द्वारा धनराशि रू0 6700.00 लाख (सड़सठ करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) को व्यय किये जाने हेतु **जिलाधिकारी**, **अयोध्या** के निवर्तन पर रखी गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या की सीमा में आने वाले 04 प्रवेश द्वारों तथा जनपद गोण्डा की सीमा में आने वाले 02 प्रवेश द्वारों हेतु द्वितीय किस्त के रूप में क्रमशः धनराशि रू0 1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ मात्र) **जिलाधिकारी, अयोध्या** के निवर्तन पर व धनराशि रू0 1000.00 लाख (दस करोड़ मात्र) **जिलाधिकारी, गोण्डा** के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रस्तर-4 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

4- परियोजना हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चिन्हित भूमि प्रतिकर निर्गत किये जाने की दृष्टिगत से नगरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की प्रास्थिति के अनुसार ही देय प्रतिकर की वास्तविक गणना के सम्बन्ध में पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित अधिकारी स्वंय संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि की लागत को सम्मिलित करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(13) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में भूमि गाटा संख्या/खातेदार की स्पष्ट स्थिति तथा भूमि की प्रकृति के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराकर तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,000.00 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801044500 विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-7-586/दस-2022-23, दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. आयुक्त, अयोध्या/लखनऊ/ देवीपाटन/बस्ती मण्डल।
6. आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी,अयोध्या/रायबरेली/सुल्तानपुर/लखनऊ/अम्बेडकरनगर/गोण्डा/बस्ती।
9. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
10. सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
11. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
12. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 व 14 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या/गोण्डा।
14. उप निदेशक, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
17. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।